रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 3, 2019/आश्विन 11, 1941
No. 590] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 2019/ ASVINA 11, 1941

जल शक्ति मंत्रालय

(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 757(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, सलाहकार (समूह 'क') भर्ती नियम, 2007, को, जहाँ तक वे अपर सलाहकार (लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी) के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अपर सलाहकार (लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** --- (i) इन नियमों का नाम जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, अपर सलाहकार (लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2019 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल** --- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से संबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** --- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** --- वह व्यक्ति, -

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; विवाह किया है या

(ii) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** --- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** --- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अपर सलाहकार (लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी)	1*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स में लेवल 13ए (131100-216600 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	अल्पकालिक संविदा/ प्रोन्नति सहित प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में ग्रेड, जिससे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है,	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो इसकी संरचना क्या होगी?	वह परिस्थिति जिसमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा/	लागू नहीं होता	पद को भरते समय संघ लोक

प्रोन्नति भी है): I. केन्द्र अथवा राज्य सरकारों अथवा केंद्र शासित क्षेत्रों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल–13 (123100-215900 रु.) या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल–12 (78800-209200 रु.) या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हों :- **अनिवार्य:-** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल इंजीनियरी अथवा पर्यावरण इंजीनियरी अथवा लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में स्नातक डिग्री (ii) अन्वेषण, डिजाइन सन्निर्माण और जल प्रदाय प्रचालन तथा मलवाही प्रतिष्ठानों में जिम्मेदारी की हैसियत से पन्द्रह वर्ष का अनुभव, जिसके अंतर्गत विलवणीकरण, विपुलरीकरण, लौहमुक्त करने तथा जल संचयन ढांचों में अनुभव सहित ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव सम्मिलित है। **वांछनीय:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समतुल्य से सिविल इंजीनियरी अथवा पर्यावरण इंजीनियरी अथवा लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री। **नोट 1**: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की		सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) शामिल है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट 2**: ऐसे विभागीय उप सलाहकार (लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी) पर, जिन्होंने उस श्रेणी में पे मैट्रिक्स में लेवल-12 (78800-209200) में छह वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों, बाहर वालों के साथ विचार किया जाएगा। यदि नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी का चयन कर लिया जाता है, तो यह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।		

[सं. ए-12022/1/2017-प्रशासन]

समीर कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Drinking Water and Sanitation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2019

G.S.R. 757(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Rural Development, Department of Drinking Water Supply, Advisers (Group A) Recruitment Rules, 2007, in so far as they relate to the post of Additional Adviser (Public Health Engineering), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Adviser (Public Health Engineering) in the Department of Drinking Water and Sanitation, namely :-

1. **Short title and commencement**. --- (i) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation, Additional Adviser (Public Health Engineering), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2019.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in Pay Matrix**.--- The number of said post, its classification, the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.--- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.--- No person, -

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.--- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.--- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Additional Adviser (Public Health Engineering).	1*(2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group 'A'	Level 13A in the pay matrix (Rs. 131100 – 216600)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Deputation including Short Term Contract/Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Composite Method (Deputation including Short-Term Contract/Promotion): I. Officers of the Central or State Governments or Union Territories or Autonomous Bodies or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment	Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post.

thereto on a regular basis in level-13 of pay matrix (Rs. 123100 – 215900) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level -12 of pay matrix (Rs. 78800 – 209200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience :- **Essential:-** (i) Bachelor Degree in Civil Engineering or Environmental Engineering or Public Health Engineering from a recognized University or Institute. (ii) Fifteen years experience in responsible capacity in investigation, design construction and operation of water supply and sewerage installation including five years in rural or urban sector with experience in desalination, defluoridation, iron removal, and water harvesting structure. **Desirable:** (i) Master Degree in Civil Engineering or Environmental Engineering or Public Health Engineering from a recognized University or Institute or equivalent. **Note 1**: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2**: The departmental Deputy Adviser (Public Health Engineering) in level 12 in the pay matrix (78800-209200) with six Years of regular service in the grade and having the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.		

[No. A-12022/1/2017-Admin]

SAMIR KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.04 16:01:21 +05'30'